नमामि गंगे : गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सार्थक पहल

नरेश कुमार एवं मनोहर अरोरा
रा.ज.सं. रुड़की

भारत की पवित्र नदियों में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है तथा यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पापों का समूल नाश हो जाता है। मरने के बाद भी गंगा में अस्थि विसर्जन करना मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक समझा जाता है। कुछ लोग तो गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगाजल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका प्रयोग किया जाता है। पंचामृत में भी गंगाजल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।

गंगा नदी की मुख्य शाखा भागीरथी नदी का उद्गम समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय में गौमुख (गंगोत्री हिमनद के स्नाउट) से होता है। यहाँ से लगभग 18 कि.मी. नीचे गंगोत्री धाम है जहां पर गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। गंगा नदी की दूसरी मुख्य शाखा, अलकनन्दा नदी, सतोपन्त और भगीरथ खड़क नामक हिमनदों से निकलती है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 229 किमी. तक बहती है जिसके पश्चात देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहाँ से यह सम्मिलित जल–धारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में 2510 कि.मी. की दूरी तय करते हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू भाग को सींचती है तथा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं बल्कि जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियाँ तो पाई ही जाती हैं मीठे पानी वाले दुर्लभ डालफिन भी पाए जाते हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके ऊपर बने पुल, बाँध और नदी परियोजनाएँ भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करती हैं। गंगा नदी 11 राज्यों अर्थात् उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करती है। गंगा नदी घाटी आवाह क्षेत्र के संदर्भ में भारत में सर्वाधिक विशालतम नदी घाटी है जो भारत के कुल भू–भाग के 26 प्रतिशत (8,61,404 वर्ग किमी) में फैली है। प्रत्येक राज्य में अपवहन क्षेत्र को नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

राज्य	अपवहन क्षेत्र (वर्ग किमी)
उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश	294,364
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	198,962
बिहार और झारखण्ड	143,961
राजस्थान	112,490
पश्चिम बंगाल	71,485
हरियाणा	34,341
हिमाचल प्रदेश	4,317
दिल्ली	1,484
कुल	**861,404**

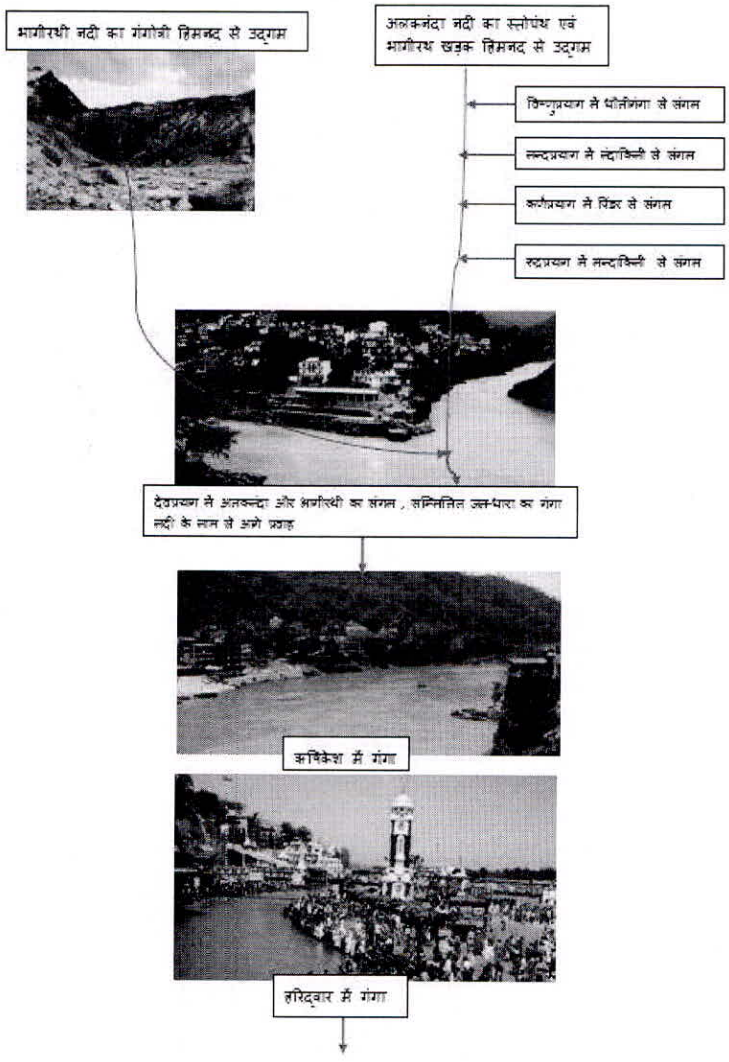

पहाड़ों में गंगा नदी का प्रवाह

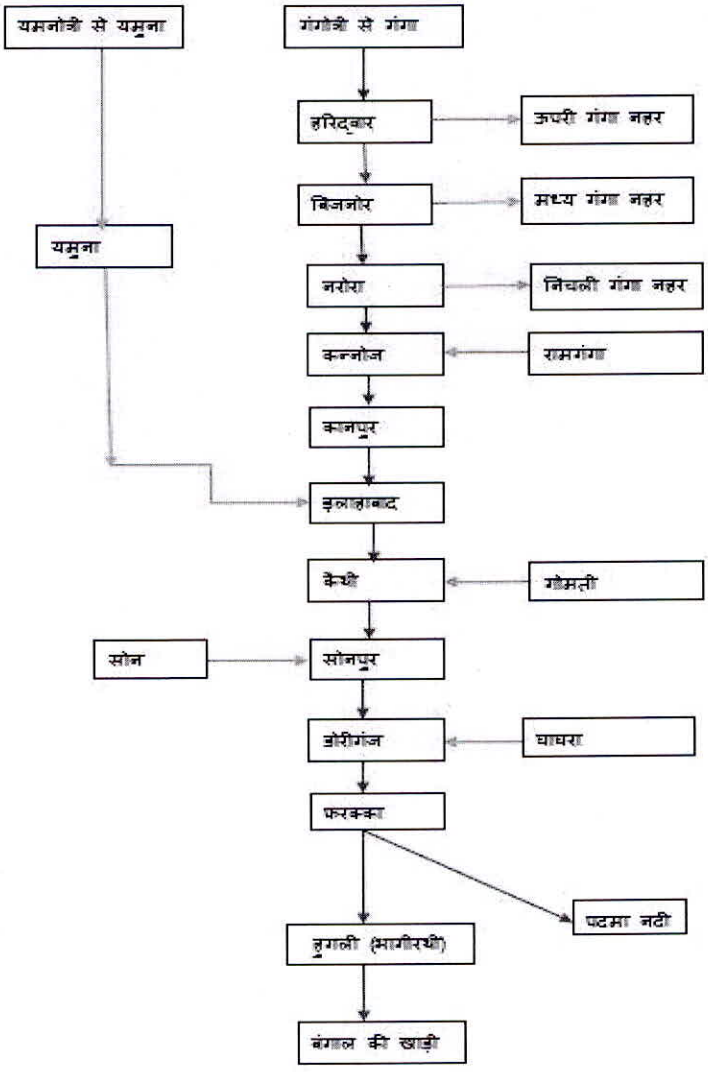

मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी का प्रवाह

हरिद्वार से गंगा मैदानों में बहती है जहां पर भीम गोड़ा बैराज से इसके जल को बड़ी मात्रा में ऊपरी गंगा नहर के रूप में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बिजनौर में एक अन्य बैराज इसके जल को मध्य गंगा कैनाल में प्रवाहित करता है, परंतु ऐसा केवल मानसून के माहों के दौरान ही किया जाता है। नरोरा में, जल को निम्न गंगा कैनाल में पुनः प्रवाहित किया जाता है।

हरिद्वार में गंगा नदी से ऊपरी गंगा नहर का प्रारम्भ

आगे चलकर, कन्नौज के निकट रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलती है जिससे इस नदी में अतिरिक्त जल आ जाता है। इलाहाबाद में संगम पर यमुना गंगा से मिलती है जिससे नदी के प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। इलाहाबाद के बाद, गंगा में अनेक सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं जिनमें से अधिकांशतः उत्तर की ओर से तथा कुछ दक्षिण की ओर से आती हैं। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तथा पश्चिम बंगाल में मालदा के बीच के भू–भाग में गंगा का प्रवाह अत्यधिक तीव्र होता है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है तथा कुछ जल को हुगली से जोड़ने वाली फीडर कैनाल में प्रवाहित कर देता है जिससे गंगा नदी में गाद की मात्रा कम हो जाती है। गंगा नदी दाहिने भाग पर भागीरथी (हुगली) तथा बाएं भाग पर पदमा के रुप में दो नदियों में विभाजित हो जाती है। भागीरथी कोलकाता से लगभग 150 किमी दूर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पदमा बंगला देश में प्रवेश करती है तथा अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व मुख्य नदियों ब्रह्मपुत्र तथा मेघना से मिलती है।

वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं तथा गंगा की असीमित शुद्धीकरण क्षमता इन्ही के कारण है। गंगा की इस असीमित शुद्धीकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसका प्रदूषण रोका नहीं जा सका है। गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ–साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को भी बेहद प्रदूषित किया है। पर्वतों से लेकर सागर तक के अपने सफर के दौरान बड़े शहरी केन्द्रों की नगर–पालिकाओं की जल–मल निकासी, उद्योगों का व्यापारिक बहिःस्राव तथा अनेक अन्य गैर–स्थलीय स्रोतों से प्रदूषणकारी अपशिष्ट इस नदी में बहाया जाता है जिसके फलस्वरूप इसका प्रदूषण होता है। रिपोर्टो के अनुसार गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है।

अधिकतर बीमारियों की वजह यही प्रदूषित जल है। यह घोर चिन्तनीय है कि गंगा जैसी पवित्र नदी का जल न स्नान के योग्य रहा, न पीने के योग्य रहा और न ही सिंचाई के योग्य। नदी के आस–पास वाले क्षेत्रों के जनसंख्या घनत्व का नदी प्रदूषण पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गंगा नदी घाटी में दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, पटना, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे मुख्य शहर स्थित हैं। घाटी के शहरों में विशाल तथा निरंतर बढ़ने वाली जनसंख्या तथा तेजी के साथ विस्तारित होता औद्योगिक आधार है। घाटी में 2001 से 2011 के बीच शहरी जनसंख्या में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति अभी जारी रहने की संभावना है। इसी के अनुरुप जनसंख्या के भार में भी वृद्धि होने की आशा है जिसके कारण गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।

क्रम सं.	राज्य	कस्बों और शहरों की संख्या	शहरी जनसंख्या (2001)	शहरी जनसंख्या (2011)
1	बिहार	143	8,681,880	11,758,016
2	झारखंड	41	5,993,741	7,933,061
3	हरियाणा	91	6,115,304	8,842,103
4	हिमाचल प्रदेश	58	595,581	688,552
5	मध्य प्रदेश	394	15,967,145	20,069,405
6	छत्तीसगढ़	188	4,185,747	5,937,237
7	राजस्थान	205	13,200,000	17,048,085
8	उत्तर प्रदेश	670	34,539,582	44,495,063
9	उत्तराखण्ड	80	2,179,074	3,049,338
10	पश्चिम बंगाल	138	22,427,251	29,093,002
11	दिल्ली	6	12,905,780	16,368,899

* स्रोत :http://censusindia.gov.in/2011census/Listofvillagesandtowns.aspx

गंगा नदी के किनारे स्थित विभिन्न श्रेणी–I और II शहरों से लगभग 3000 एमएलडी जल–मल व्ययन प्रवाहित किया जाता है जिसकी तुलना में अभी तक केवल लगभग 1000 एमएलडी की जल–उपचार क्षमता ही सृजित की गई है। औद्योगिक प्रदूषकों का परिमाण–वार योगदान लगभग 20 प्रतिशत है, परंतु इसकी विषाक्त तथा जैव–अपक्षरणीय प्रकृति के कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। राम गंगा और काली नदियों के आवाह–क्षेत्रों तथा कानपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। प्रदूषण के लिए प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं–कानपुर में स्थित चर्मशोधन कारखाने, कोसी रामगंगा कागज मिलें तथा चीनी मिलें। गंगा के पराभव का अर्थ होगा, हमारी समूची सभ्यता का अन्त। गंगा को निर्मल बनाने के प्रयास बहुत पहले से किए जाते रहे है। इसी क्रम में 2008 में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई हैं। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं तथा गंगा सफाई हेतु अनेक योजनाएँ चलाई गयी ।

गंगा कार्य योजना प्रथम चरण

गंगा सफाई हेतु गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण जून 1985 में प्रारंभ किया गया। जिसके लिए रु. 256.56 करोड़ की धनराशि स्वीकार की गयी। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 6, बिहार के 4 तथा पश्चिमी बंगाल के 15 प्रथम श्रेणी के शहरों का चुनाव किया गया। इन

शहरों में गंगा को निर्मल बनाने हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की गयी। अगस्त 1994 में इस योजना हेतु धनराशि को रु. 462.04 कर दिया गया। मार्च 2000 में इस योजना को बंद कर दिया गया। तीनों राज्यों में इस योजना के दौरान चलायी गयी परियोजनाओं का विवरण निमन्वत है ।

परियोजनाएं	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिमी बंगाल	कुल
स्वीकृत	106	45	110	261
पूर्ण	106	44	110	260
प्रगति पर	0	1	0	1

गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण

गंगा नदी सफाई के कार्यक्रम को गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण एवं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत देश की अन्य प्रमुख नदियों तक विस्तारित किया गया। यमुना और गोमती कार्य–योजना को अप्रैल, 1993 में, गंगा कार्य योजना चरण–II के तहत अनुमोदित किया गया। अन्य प्रमुख नदियों के कार्यक्रम को बाद में सन् 1995 में इस योजना के तहत अनुमोदित किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत के बाद गंगा कार्य–योजना–II को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के साथ मिला दिया गया। इस हेतु अधिसूचना दिनांक 05.12. 1996 को जारी की गई। गंगा कार्य–योजना चरण–II में बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एवं हरियाणा को शामिल किया गया तथा इन राज्यों के निम्न शहरों को चुना गया।

उत्तर प्रदेशः आगरा, इटावा, गाजियाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, नोएडा, सहारनपुर, वृंदावन, लखनऊ, सुल्तानपुर, जयपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फरुखाबाद, मुगलसराय, सैदपुर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर, चुनार, अनुपशहर।

बिहारः आरा, छपरा, भागलपुर, मुंगेर, पटना, फतुआ, बाढ़, सुल्तानगंज, बरैय्या, बक्सर, मोकामा, कहलगांव, हाजीपुर।

पश्चिम बंगालः रानीगंज, आसनसोल, अंदल, दुर्गापुर, बराकपुर, बांसबेराई, रिशरा, वैद्यवती, सर्कुलर कनाल, टॉली नाला, बजबज, बद्रेश्वर, चंपादानी, सीईटीपी–कलकत्ता, नईहाटी, खारदा (एक्टेन्डेड), गायसपुर, हालीशार व कंचरपाड़ा, कोननगर, उत्तापाड़ा, कोटरुंग, उत्तरी बराकपुर, जीजगंज, अजीमगंज, डायमंड हारबर, गारुलिया, कटवा, घुलियन, जंगीपुर, महेशताला, चाकडाह, मुर्शीदाबाद, सिलिगुड़ी ।

झारखण्डः रामगढ़, दुग्धा, झरिया, चिरकुंडा, सिन्द्री, टेलमुचु, सुदामाडीह, बोकारो–कारगिल, साहेबगंज।

उत्तराखण्डः हरिद्वार, ऋषिकेश, रानीपुर, जोशीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, श्रीनगर, देवप्रयाग, उत्तरकाशी।

दिल्लीः दिल्ली।

हरियाणाः छपरौली, फरीदाबाद, घरौंदा, गोहाना, गुड़गांव, इन्द्री, पानीपत, पलवल, रादौर, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी।

गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के उद्देश्य

गंगा कार्य योजना चरण–II के प्रमुख उद्देश्य में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में वृद्धि के अतिरिक्त गंगा कार्य योजना का लक्ष्य एक मॉडल के रुप में, अन्य प्रदूषित नदियों के जल गुणवत्ता में सुधार हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली का प्रदर्शन करना था। यद्यपि गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में थोड़ा–सा सुधार हुआ है पर गंगा कार्य योजना का पूर्ण प्रभाव तब दिखेगा जब बचे हुए कार्यों को गंगा के किनारे बसे प्रथम श्रेणी के 25 शहरों, द्वितीय श्रेणी के अन्य शहरों एवं तृतीय श्रेणी के नगरों में पूरे कर लिए जाएंगे। गंगा में सीधे मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना, गोमती और दामोदर जो अत्यंत प्रदूषित हैं, उन पर प्रदूषित निवारण कार्यक्रम के तहत कार्य शुरु किए गए हैं। इसके लिए गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण को 1993 और 1996 के बीच शुरु किया गया। केंद्र और राज्य की सरकारों ने ही इसमें सहायता प्रदान की और गंगा कार्य योजना (चरण–II) के कार्य में 50:50 की बराबर साझेदारी की। अप्रैल 1997 के बाद केंद्र सरकार ने इस परियोजना का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया और गंगा कार्य योजना एवं अन्य योजनाएं जैसे–यमुना, दामोदर एवं गोमती की कुल लागत को स्वीकृत किया और इसके लिए 2285.48 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इस राशि से 95 शहरों में 441 परियोजनाओं को शुरु करने में मदद मिलेगी। अंततः योजना को दिनांक 1.4.2001 से लागू किया गया। राज्य और केंद्र के बीच निधि संरचना बदलकर 70:30 हो गई जो वर्तमान में भी है।

नमामि गंगे परियोजना

गंगा नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गयी लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुँच पाया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगे नामक एक परियोजना आरम्भ की। ''नमामि गंगे परियोजना'' के लिए केन्द्र सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। गंगा के घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए अलग से 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। यह कार्य केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और दिल्ली में कराए जाएंगे। तद्नुसार गंगा संरक्षण के दृष्टिकोण से नमामि गंगे भविष्य के लिए ठोस कार्य योजना के लिए चल रहे मौजूदा प्रयासों को मजबूत बनाना होगा। घाटों और नदी तटों के विकास से नागरिकों को जोड़ने की बेहतर सुविधा होगी और नदी केन्द्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया के लिए आधार प्रदान किया गया है।

गंगा संरक्षण की चुनौती की बहु–क्षेत्रीय, बहु–आयामी और बहु हितधारक प्रकृति को समझते हुए (क) जल संसाधन, गंगा विकास एवं गंगा संरक्षण, (ख) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, (ग) पोत परिवहन, (घ) पर्यटन, (ड़) शहरी विकास, (च) पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता और ग्रामीण विकास मंत्रालय साझा कार्य योजना पर पहुंचने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। नमामि गंगे के तहत लिए जाने वाले प्रस्ताव निम्नलिखित हैः

1. निर्मल धारा – स्थायी नगर पालिका सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना
2. निर्मल धारा – ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन
3. निर्मल धारा – औद्योगिक निर्वहन प्रबंधन
4. अविरल धारा

5. जलीय जीवन और जैव विविधता के संरक्षण से पारिस्थितिक संरक्षण सुनिश्चित करना
6. तर्कसंगत और स्थायी तरीके से पर्यटन और शिपिंग की पदोन्नति
7. नदी विज्ञान के गंगा विश्वविद्यालय के प्रमुख गंगा ज्ञान केन्द्र के माध्यम से गंगा पर ज्ञान प्रबंधन

पिछली विफलताओं को ध्यान में रखकर, सरकार ने गंगा सफाई अभियान में अहम बदलाव किए हैं। अब इस कार्यक्रम में गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि स्थानीय लोग इससे जुड़ें तथा इसके बेहतर और टिकाऊ नतीजे हासिल हो सकें। इस संबंध में पिछले अनुभवों से सीखते हुए गंगा स्वच्छता मिशन में राज्यों और जमीनी स्तर के संस्थानों जैसे शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों आदि को शामिल करने पर सरकार का पूरा ध्यान है। यह कार्यक्रम स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा–एनएमसीजी) की ओर से लागू किया जाएगा। राज्यों में इसके समकक्ष संगठन, जैसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स (एसपीएमजीएस) इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। एनएमसीजी जहां जरुरत होगी वहां स्थानीय कार्यालय बनाएगा। गंगा की सफाई के लिए इस मिशन को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए इसकी निगरानी की जाएगी और इसके लिए तीन स्तरीय व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।

क) राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एनएमसीजी मदद करेगा।

ख) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी जिसे एसपीएमजीएस मदद करेंगे।

ग) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनेगी।

इस कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए इसके तहत आने वाली सभी गतिविधियों और परियोजनाओं हेतु पूरा खर्च केन्द्र देगा। अब तक के गंगा एक्शन प्लान की विफलता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र कम से कम 10 साल तक इसकी सभी परिसंपतियों के परिचालन और रखरखाव की व्यवस्था करेगा। जहां गंगा में ज्यादा प्रदूषण है वहां पीपीपी/एसपीवी के जरिये गंगा की सफाई की जाएगी।

केन्द्र की इस योजना को और मजबूत ढंग से लागू करने के लिए चार बटालियन गंगा इको टास्क फोर्स के गठन की योजना है। यह प्रादेशिक सैन्य इकाई होगी। इसके अलावा गंगा में प्रदूषण रोकने और इसे संरक्षित करने के लिए कानून लाने पर भी विचार हो रहा है।

गंगा स्वच्छता कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की व्यवस्था में सुधार लाने पर जोर होगा। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय के तहत ढांचागत सुविधाओं के विकास के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। पेयजल और सफाई, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत चलने वाले कार्यक्रमों के तहत निवेश किया जाएगा।

नमामि गंगे के तहत नदी के प्रदूषण को कम करने पर पूरा जोर होगा। इसमें प्रदूषण को रोकने और नालियों से बहने वाले कचरे के शोधन और उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम उठाए जाएंगे। कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए नई तकनीक की व्यवस्था की जाएगी।

गंगा की वर्तमान दुर्दशा के लिए गंगा को प्रदूषित करने वाले लोगों के साथ–साथ वे लोग भी गंगा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं जिन पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का दायित्व था। यदि वे अपना दायित्व पूर्ण करते, तो आज गंगा प्रदूषित न होती। लेकिन गंगा जी की इस दुर्दशा के बावजूद भारतीय जनमानस के अवचेतन में सदियों से यह विश्वास भरा है कि हिमालय में गंगोत्री से जो अमृत जल आता है, वह उनके सारे पापों को धोकर उनके चित्त को निर्मल कर देगा और पुनर्जन्म के बंधन से मोक्ष भी देगा। इसलिए देश–विदेश से करोड़ों लोग प्रदूषित पानी में भी गंगोत्री से आए एक बूंद अमृत जल की तलाश में गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं। मोदी सरकार ने जो 'नमामि गंगे' मिशन की पूर्ति का जो संकल्प लिया है उस पर देशवासियों का विश्वास है। हम सभी की आस्था और विश्वास मोदी सरकार के मिशन 'नमामि गंगे' से जुड़ा है। अब प्रतीक्षा है उस दिन की, जब हम गंगा मैय्या के वास्तविक निर्मल जलधारा के दर्शन कर सकेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि गंगा की निर्मलता के लिए चलाए जाने वाले अभियानों को केवल चर्चा और विवाद का मुद्दा न बनाया जाए। योजनाएँ कागजों तक ही सीमित न रहें।

हिंदी वह धागा है, जो विभिन्न मातृ भाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा।

(डॉ. जाकिर हुसैन)